न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 122/2018

1 कुन्दन पुत्र महादाराम जाति चमार निवासी बीलवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 दलीप सिंह पुत्र श्री गोकुलचन्द
2 मोहन सिंह पुत्र श्री गोकुलचन्द
3 रोहताशसिंह पुत्र श्री गोकुलचन्द
4 सवाई सिंह पुत्र श्री गोकुलचन्द
5 महेश सिंह पुत्र श्री गोकुलचन्द
जाति दारोगा निवासी बीलवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।
6 मृतक श्रीमती बनारसी देवी बेवा गोकुलचन्द जाति दारोगा निवासी बीलवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू। 'नोट–दौराने अपील विचाराधीन मृत्यु हो गई'।
6/1 लाली पुत्र गोकुलचन्द पत्नी विजयपाल उर्फ विरेन्द्र सिंह जाति दारोगा निवासी ग्राम बीलवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू हाल निवासी भादरगढ़ तहसील बहरोड़ जिला अलवर।
6/2 ओमा पुत्री गोकुलचन्द पत्नी बदरी सिंह जाति दारोगा निवासी ग्राम बिलवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू हाल आबाद ग्राम खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
7 झुन्झुनू सहकारी भूमि विकास बैंक लि. झुन्झुनू राज.।
8 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांकित 26.12.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी मुकदमा उनवानी कुन्दन बनाम दलीपसिंह वगै. दावा घोषणात्मक स्थाई निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड दुरूस्ती मु.नं. 180/2001

उपस्थिति :

1. श्री विजय बोरान, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 30.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 180/2001 में पारित निर्णय दिनांक 26.12.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद घोषणात्मक, स्थाई निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड दुरूस्ती वाके ग्राम बीलवा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वाके ग्राम बीलवा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नम्बर 202 रकबा 17 बीघा 5 बिश्वा का खातेदार महादेव पुत्र भीखाराम जाति चमार था, उक्त महादेव वादी/अपीलान्ट का पिता था एवं इस भूमि को उक्त महादेव ठिकाना के समय लगान के करार पर काश्त करता था, सात रूपये आठ आना इसका लगान भुगतान करता था, शान्ति पूर्वक काबित था एवं काश्त करता था, इसमें ही मकान बनाकर आबाद था। उक्त महादेव का महादाराम भी क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा में बोलते थे जिसको दो पुत्र वादी/अपीलान्ट व मंगलाराम थे। मंगलाराम बड़ा था जो अपीलान्ट के साथ संयुक्त परिवार में था जिसकी ना औलाद अविवाहित मृत्यु हो चुकी है। उसका आवेदक/अपीलान्ट ही एक मात्र उत्तराधिकारी है इस भूमि पर पहले अपीलान्ट का पिता काबिज था उसकी मृत्यु के बाद अपीलान्ट का भाई एवं अपीलान्ट काबिज रहे। आवेदक/अपीलान्ट के भाई की मृत्यु के बाद अपीलान्ट काबिज काबिज है। इसी भूमि में उसने मकान बना रखे है एवं परिवार सहित इसी में आबाद भी है। अपीलान्ट व उसका पिता अनुसुचित जाति के सदस्य है तथा सम्वत 2012 में अपीलान्ट का पिता इस भूमि का खातेदार था अर्थात सन 1955 में जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु किया गया उस समय अपीलान्ट का जो अनुसुचित जाति का व्यक्ति था इस भूमि का खातेदार था जिसकी भूमि किसी भी गैर अनुसुचित जाति के व्यक्ति के हस्तान्तरित नहीं हो सकती थी ना ही इसकी खातेदारी समाप्त की जा सकती थी। रेस्पोंडेन्ट सवर्ण जाति के व्यक्ति है उनके नाम इस भूमि की खातेदारी दर्ज ही नहीं हो सकती थी। सम्वत 2012 अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने के बाद कानून में यह प्रावधान बनाया गया कि किसी भी अनुसुचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी किसी गैर अनुसुचित जाति के व्यक्ति के नाम से दर्ज हुई है तो वह कानून की नजर में शून्य एवं प्रभावहीन है तथा जड़मुल से ही शून्य है। इसलिये इस भूमि की खातेदारी सरपंच से मिलकर रेस्पोडेन्ट ने अपने पूर्वज गोकुलचन्द के नाम दर्ज करवा ली है जो शून्य एवं निष्प्रभावी है। रेस्पोडेन्ट ने अपने जवाब

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

एवं लिखित बहस में यह आधार लिया है कि यह भूमि सीनियर अधिकारी ठिकाना खेतड़ी ने दी थी तभी से वह खातेदार है जबकि उक्त दस्तावेजो में यह भूमि ठेके पर देने का वर्णन किया है जबकि ठेकेदार को काश्तकारी अधिकार न तो प्राप्त हो सकते है ना ही वह किसी प्रकार के अधिकारों को क्लेम कर सकता है बल्कि ठेकेदार या इजारेदार से भूमि यदि खड़ी फसल के दौरान वापिस ली जाती है तो वह केवल मुकशानी प्राप्त कर सकता है। भूमि उसके खातेदार या मालिक को छोड़ने से भी मना नहीं कर सकता है इसलिये ठेकेदार को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है साथ ही रेस्पोडेन्ट किस आधार पर इस भूमि के खातेदार बने एवं किस प्रकिया से उनके नाम खातेदारी दर्ज हुई उसका कोई उल्लेख नहीं है। नामान्तकरण संख्या 103 शून्य एवं निष्प्रभावी है जिस पर विचारण न्यायालय ने गौर ना कर निर्णय व डिक्री पारित की है। सम्वत 2012 में वादी/अपीलान्ट का हक पूर्वाधिकारी इस भूमि का खातेदार था उसकी भूमि किसी अन्य के नाम दर्ज हो सकती है ना ही उसका बेचान दान हो सकता अर्थात किसी भी प्रकार से अनुसुचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी हस्तान्तरनीय नहीं है तथा जो संसोधन काश्तकारी अधिनियम 1955 में किया उसका भी पूर्वगामी प्रभाव किया गया है तो प्रतिवादीगण को इसके बाबत कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है इसलिये प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट को इसके बाबत कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है इसलिये प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट को इस भूमि में हक एवं अधिकार प्राप्त नहीं होते है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि वादी ने उक्त विवादग्रस्त भूमि बाबत माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर पीठ जयपुर में एस.बी. सिविल याचिका संख्या 3779/2007 प्रस्तुत की थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 25.07.2007 में आदेश पारित किया है कि **All the Courts below have given concurrent finding**

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

against the petitioner. The petitioner is not the khatedar tenant and argued before this Court that the land belongs to Schedule Caste cannot be transferred to the general category, whereas infact theh petitioner is not the Khatedar tenant and he is only caliming right to the land having a possession over the land in dispute.

In Such circumstances, concurrent findings given by the Courts below require no interference by this Court as the petitioner is not able to make out any case and is only claiming that he may not be dispossessed from the land in dispute. I find no merit in the writ petition. The petitioner has no legal right to have possession over the disputed land. Consequently, the writ petition fails and the same is herewith dismissed. इस प्रकार वादी द्वारा उक्त याचिका विवादग्रस्त भूमि बाबत ही पेश की थी जिसमें वादी असफल रहा है। इस प्रकार उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य सबूत से यह संदेह से परे साबित होता है कि वादी का विवादित भूमि खसरा नम्बर 487, 489 किता 2 कुल रकबा 4.36 हैक्टेयर वाके ग्राम बीलवा तहसील खेतड़ी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में वादी का दावा स्वीकार योग्य नहीं बनता और ना ही विवादित आराजी के कब्जे काश्त के संबंध में कोई साक्ष्य पेश किए है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी राजस्व रिकार्ड से यह साबित हो गया है कि वादी का विवादित भूमि खसरा नम्बर 487, 489 किता 2 कुल रकबा 4.36 हैक्टेयर वाके ग्राम बीलवा तहसील खेतड़ी से किसी प्रकार कोई संबंध सरोकार नहीं है। वादी विवादित भूमि में अपना कोई हिस्सा होना साबित नहीं कर पाये है तथा विवादित भूमि पर दस्तावेजात व बयानों से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 का कब्जा है। वैसे भी **Possession follows title** के सिद्धान्त पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 का कब्जा है। जब खातेदार व कब्जा विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 का है तो वादी को कोई हक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

नहीं है कि वे प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2064–67 खाता संख्या 145 खसरा नम्बर 487, 489 किता 2 कुल रकबा 4.36 हैक्टेयर भूमि मु. बनारसी देवी बेवा गोकुलचन्द दलींपसिंह मोहनसिंह सवाईसिंह रोहिताश सिंह महेश सिंह पि गोकुलचन्द कौम दरोगा सा.देह। खाता सहित झु.स.भू.वि. बैंक लि. झुन्झुनू मूर्तहिन दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 उक्त वादग्रस्त भूमि के काबिज कातश्कार दर्ज रिकार्ड है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2024(1) रेव पेज 649, आरएलडब्ल्यू 2014(2) पेज 1453, आरबीजे 2023 पेज 90, डीएनजे 2023(1) रेव पेज 237, डीएनजे 2024(1) रेव पेज 649 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी ने उक्त विवादग्रस्त भूमि बाबत माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर पीठ जयपुर में एस.बी. सिविल याचिका संख्या 3779/2007 प्रस्तुत की थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 25.07.2007 में आदेश पारित किया है कि **All the Courts below have given concurrent finding against the petitioner. The petitioner is not the khatedar tenant and argued before this Court that the land belongs to Schedule Caste cannot be transferred to the general category, whereas infact theh petitioner is not the Khatedar tenant and he is only caliming right to the land having a possession over the land in dispute.**

भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

In Such circumstances, concurrent findings given by the Courts below require no interference by this Court as the petitioner is not able to make out any case and is only claiming that he may not be dispossessed from the land in dispute. I find no merit in the writ petition. The petitioner has no legal right to have possession over the disputed land. Consequently, the writ petition fails and the same is herewith dismissed. इस प्रकार वादी द्वारा उक्त याचिका विवादग्रस्त भूमि बाबत ही पेश की थी जिसमें वादी असफल रहा है। इस प्रकार उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य सबूत से यह संदेह से परे साबित होता है कि वादी का विवादित भूमि खसरा नम्बर 487, 489 किता 2 कुल रकबा 4.36 हैक्टेयर वाके ग्राम बीलवा तहसील खेतड़ी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में वादी का दावा स्वीकार योग्य नहीं बनता और ना ही विवादित आराजी के कब्जे काश्त के संबंध में कोई साक्ष्य पेश किए है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी राजस्व रिकार्ड से यह साबित हो गया है कि वादी का विवादित भूमि खसरा नम्बर 487, 489 किता 2 कुल रकबा 4.36 हैक्टेयर वाके ग्राम बीलवा तहसील खेतड़ी से किसी प्रकार कोई संबंध सरोकार नहीं है। वादी विवादित भूमि में अपना कोई हिस्सा होना साबित नहीं कर पाये है तथा विवादित भूमि पर दस्तावेजात व बयानों से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 का कब्जा है। वैसे भी **Possession follows title** के सिद्धान्त पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 का कब्जा है। जब खातेदार व कब्जा विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 का है तो वादी को कोई हक नहीं है कि वे प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2064–67 खाता संख्या 145 खसरा नम्बर 487, 489 किता 2 कुल रकबा 4.36 हैक्टेयर भूमि मु. बनारसी देवी बेवा गोकुलचन्द दलीपसिंह मोहनसिंह सवाईसिंह रोहिताश सिंह महेश सिंह पि गोकुलचन्द कौम दरोगा सा.देह। खाता सहित झु.स.भू.वि. बैंक लि. झुन्झुनू मूर्तहिन दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 उक्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

वादग्रस्त भूमि के काबिज कातश्कार दर्ज रिकार्ड है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम भोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर